पूरा पैरीमीटर सुरक्षित रखने के लिए काफी हिमायत दी है कि इस मामले में उन्हें ध्यान रखना चाहिए, ताकि ऐसी दुर्घटना फिर से न हो। अभी तो ऊपर वाले की कृपा रही कि कोई दुर्घटना नहीं हुई, हालांकि हादसा हो सकता था, क्योंकि हवाई जहाज नील गाय से टकरा गया था, जिससे नील गाय की भी मौत हो गई थी। नील गाय काफी बड़ा जानवर होता है। ऐसी दुर्घटना भविष्य में नहीं होनी चाहिए।

दूसरा, आपका जो प्रश्न है, कम-से-कम उसमें मैं आपकी थोड़ी बहुत तारीफ भी करूंगा, क्योंकि कानपुर में विशेषकर आपने भी लगातार इसके लिए मांग की और बहुत सालों के बाद पहली बार कानपुर को हवाई सेवाओं के साथ जोड़ा गया। अभी तो उसकी शुरूआत ही हुई है। निश्चित ही वह बहुत बड़ा शहर है और उसको ...(**व्यवधान**)...

श्री महेन्द्र मोहन: नहीं, नहीं, बधाई के पात्र आप भी हैं। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि नील गायों को मारने के आदेश दिए गए हैं या नहीं दिए गए?

श्री प्रफुल्ल पटेल: देखिए, वह मेरा विषय नहीं है, वह इंडियन एअरफोर्स का क्षेत्र है। मैं सिर्फ उनको निवेदन कर सकता हूं या हिमायत दे सकता हूं कि ऐसी दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, वरना कम-से-कम हमारी जो कॉमर्शियल फ्लाइट्स हैं हम उनको असुरक्षित हवाई अड्डे पर उतारने के लिए परमिशन नहीं देंगे।

सरकारी-क्षेत्र के बैंकों के विलय संबंधी समिति

164. **सुश्री अनुसुइया उइके:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा सरकारी-क्षेत्र के बैंकों के विलय के लिए सुझाव देने हेतु किसी समिति का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी;

(ङ) इस रिपोर्ट के आधार पर कौन-कौन से बैंक विलय के लिए प्रस्तावित हैं तथा इस विलय के क्या कारण हैं; और

(च) विलय की प्रक्रिया कब तक पूर्ण कर ली जाएगी और इसके क्या लाभ होंगे?

वित्त मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम): (क) से (च) एक विवरण राज्य सभा के पटल पर रख दिया गया है।

(क) से (घ) सरकार ने अगस्त 1991 में वित्तीय व्यवस्था ढांचा, संगठन कार्यों तथा पद्धति से संबंधित सभी पहलुओं की जांच के लिए श्री एम॰ नरसिम्हन की अध्यक्षता में वित्तीय व्यवस्था संबंधी एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। समिति ने नवम्बर 1991 में, अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी थी। सरकार ने श्री नरसिम्हन समिति द्वारा पहले प्रस्तुत रिपोर्ट में वित्तीय पद्धति सुधार के लिए की गई सिफारिश के कार्यान्वयन के रिकार्ड की समीक्षा करने तथा आगामी वर्षों में आवश्यक सुधारों की रूपरेखा तैयार करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र में सुधार पर श्री एम॰ नरसिम्हन की अध्यक्षता में दिसम्बर 1997 में एक और उच्च स्तरीय समिति का गठन किया ताकि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र और अधिक सुदृढ़ एवं बेहतर हो सके तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिवेश में तेजी से हो रहे परिवर्तनों का सामना प्रभावी रूप से किया जा सके। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार पर दूसरी समिति ने भी अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1998 में सरकार को प्रस्तुत कर दी थी। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार पर समिति (नरसिम्हन समिति) ने, अन्य बातों के साथ, वित्तीय क्षेत्र के व्यापक सुधार के भाग के रूप में बैंकिंग क्षेत्र में समेकन की सिफारिश की थी।

(ङ) और (च) सरकार का यह मत है कि एक सरकारी क्षेत्र के एक बैंक का सरकारी क्षेत्र के किसी दूसरी बैंक के साथ विलयन आदि द्वारा समेकन के संबंध में कोई प्रस्ताव संबंधित बैंक से आना चाहिए, जिसमें सरकारी

समर्थनकारी भूमिका निभाएगी। भारतीय स्टेट बैंक और स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के संबंधित निदेशक मंडलों ने जोखिमों से निपटने के लिए अच्छे प्रबंधन के अतिरिक्त, नेटवर्क, जनशक्ति तथा अन्य संसाधनों के संबंध में बड़े पैमाने की किफायतों के लिए दोनों बैंकों के विलय का अनुमोदन किया है। यह प्रस्ताव सरकार की जांच के अधीन है।

Committee on merger of Public Sector Banks

†*164. MISS ANUSUIYA UIKEY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether any Committee had been constituted by Government to suggest the merging of Public Sector Banks;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the report has been submitted to Government by the Committee;

(d) if so, when was it submitted;

(e) the names of Banks proposed to be merged on the basis of this report and the reasons of this merging; and

(f) by when the procedure for merging would be completed and what would be its benefits?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (f) A statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) to (d) Government had, in August 1991, constituted a high level Committee on the financial system to examine all aspects relating to the structure, organization, functions and procedures of financial system under the Chairmanship of Shri M. Narasimham. The Committee had submitted its report in November 1991 to the Government. In December 1997, Government had further constituted a high level Committee under the Chairmanship of Shri M. Narasimham on banking sector reforms to review the record of implementation of financial system reforms recommended by the Narasimham Committee in its earlier report and to chart the reforms necessary in the years ahead so that India's banking sector can become stronger and better equipped to compete effectively in a fast changing international economic environment. The Second Committee had also submitted its report on banking sector reforms to the Government in April 1998. The Committee on banking sector reforms (Narasimham Committee) had, *inter-alia,* recommended consolidation in the banking sector as part of wider financial sector reforms.

(e) and (f) Government is of the view that any proposal for consolidation, by way of merger etc., of one public sector bank with another public sector bank, should emanate from the concerned bank with Government playing a supportive role. The respective boards of directors of State Bank of India and State Bank of Saurashtra have approved merger of both banks to allow economies of scale in terms of network, man-power and other resources, besides entailing better management of risks. The proposal is under examination in Government.

सुश्री अनुसुइया उइके: माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में आर्थिक व्यवस्था में विश्व-स्तर पर भारतीय बैंकों की स्पर्द्धा हो रही है। इस स्पर्द्धा में जो बड़े बैंक होंगे, वही टिकेंगे, लेकिन दुनिया में जो टॉप के बैंक हैं, उनमें इंडिया के बैंक बहुत पीछे हैं। भारतीय बैंकों को लाइज़र वेज वाला होना चाहिए, इसलिए बैंकों का विलय होना जरूरी है इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए विलय की प्रक्रिया जल्दी होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि सरकारी क्षेत्रों में बैंकों का विलय ठीक तरीके से हो, क्या इसके लिए किसी समिति का गठन किया गया है? यदि उसकी रिपोर्ट मिल गई है तो अभी तक उसका अमलीकरण क्यों नहीं किया गया?

श्री पवन कुमार बंसल: सर, मैं माननीय सदस्या का धन्यवादी हूं कि उन्होंने इस प्रक्रिया के लिए अपना समर्थन दिया है। जैसा कि वह जानती हैं, मैं हाउस को भी इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि 1991 में नरसिम्हन कमेटी बनी थी और उन्होंने पूरे फिनांशियल सैक्टर के लिए सिफारिश की थी। उसके बाद 1997 में जो दूसरी नरसिम्हन कमेटी बनी, उसने विशेष तौर पर बैंकिंग सेक्टर के लिए सिफारिशें दीं। उन सिफारिशों के तहत हमारा यह मानना है कि अगर बैंकों का किसी वक्त आपस में merger होना है तो उन बैंकों के जो बोर्ड्स हैं, वहां से यह बात चले न कि सरकार उन पर दबाव डाले। उसके साथ-साथ जो अलग-अलग मुलाजिमों की यूनियंस के नुमाइंदे हैं, वह उनको साथ लेकर चले। सरकार उसमें एक supportive role यानी समर्थन का रोल करेगी और सरकार चाहेगी कि वह रोल अदा करे। उसके तहत कार्यवाही हो रही है उसमें एक के लिए मसला सरकार के विचाराधीन है।

सुश्री अनुसुइया उइके: माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि कितने बैंकों-के विलय की applications pending हैं? स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के एस०बी०आई० में विलय का प्रस्ताव सरकार के पास कब आया है और अभी तक विलय की मंजूरी क्यों नहीं दी गयी?

श्री पवन कुमार बंसल: सर, इस वक्त एक दरख्वास्त है और वह मसला सरकार के विचाराधीन है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सौराष्ट्र बैंक के merger की बात चल रही है। यह बात काफी आगे तक बढ़ गई है। दोनों बोर्ड्स ने उसमें अपनी-अपनी राय दी है, दोनों बोर्ड्स ने सहमति दी है और साथ-ही-साथ यूनियंस ने भी उसके लिए सहमति दी है। वह मसला इस वक्त सरकार के विचाराधीन है।

DR. K. MALAISAMY: Sir, as a student of management, I have been taught what the modern concept is; decentralisation of power and delegation of power. These are the two norms which are followed in modern concept. Sir, the Minister has said that amalgamation or consolidation is the concept that they are promoting. If so, I want to know whether this concept will run counter to the modern concept.

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Sir, I am afraid, one concept cannot be blindly applied elsewhere. Sir, as far as the question of amalgamation of the banks is concerned, the Narasimham Committee was of the view that in a competitive world, it is absolutely essential that we have banks which can compete on a global scale. Sir, we would like to have, at least, three or four such larger banks for competing at the international level; about eight to ten national banks, local banks and the rural banks. So, it is not completely that all the banks must necessarily merge. This has been left to the banks only, but it is to be appreciated that in today's world we do need banks of international standard which can compete in the world, and our banks are well-equipped to play that role.

MS. MABEL REBELLO: Sir, the State Bank of India has got a lot of subsidiaries. As the hon. Member has already spoken about the Bank of Saurashtra, there are banks like the State Bank of Mysore, State Bank of Travancore, and all these. I would like to know from the hon. Minister whether all the subsidiaries of the State Bank of India would be merged with the State Bank of India. If yes, by when?

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Sir, we can say nothing of that. We don't have a policy like that. But, if a proposal comes from the Boards of those two banks, then that can be considered by the RBI and the Government of India.

MS. MABEL REBELLO: Sir, in view of universal banking, they will have to do it. They have almost decided...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: One supplementary, please...*(Interruptions)*...

SHRI JESUDASU SEELAM: Sir, I just want to know from the hon. Minister the rationale of this merger. Is it to improve the functioning of banks? Improvement in functioning of banks for whose benefit? Sir, we find that this issue has been discussed here so many time. Despite our repeated requests, no sincere efforts have been made to increase the share of bank loans to the most marginalized sections of the society in this country. Sir, less than one per cent goes to them in the form of loan. There is a criticism that this bank loan waiver will not affect the lowest of the lowest in the country. Sir, I want to know from the hon. Minister whether this merger will help to increase credit flow to the weaker section, the small sector like the tiny sector with Rs. 5 lakh...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Put your question, please.

SHRI JESUDASU SEELAM: Sir, this is my question. What is the purpose of wasting so much...*(Interruptions)*... I think, that should serve some social purpose. ...*(Interruptions)*...

SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Sir, coming to the second part, which does not really arise from the main question, I would like to say that presently all the banks have a policy that 40 per cent of the entire net bank credit should go to the priority sector. Out of that, 18 per cent for agriculture, 10 per cent for the weaker sections and six per cent, according to the latest instructions of the Prime Minister, Sir for the minorities. And, admittedly, Sir, as far as the question of amalgamation is concerned, we feel that amalgamation must arise from business compulsions to increase the capital base and the organisational strength of the banks. It is not...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: The Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Civil Aviation Agreement between India and Pakistan

†*165. MS. SUSHILA TIRIYA:
SHRI MOTILAL VORA:

Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) the matters on which discussions were held recently between Civil Aviation officials of India and Pakistan;

(b) whether a decision was taken to increase the number of flights from 12 to 28 in a week and to link Chennai and Islamabad by air route to boost mutual relationship among the citizens of India and Pakistan in this mutual talk;

(c) the names of airlines which have applied for providing flights to Pakistan; and

(d) the names of airlines permitted to ply between India and Pakistan and the criteria adopted for the same?

---

†Original notice of the question was received in Hindi.